(iv) चतुर्थ स्तर– राज्य स्तर पर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित उड़नदस्ता जांच दल–राज्य स्तर पर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित उड़नदस्ता जाँच दल के तकनीकी पदाधिकारियों के द्वारा विभाग द्वारा समय–समय पर दिए गये अनुदेशों के आलोक में संबंधित कार्य प्रमंडल के अधीन कार्यान्वित हो रही योजनाओं की आवश्यक जाँच की जायेगी एवम् जाँच प्रतिवेदन विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख/संबंधित मुख्य अभियंता/राज्य गुणवत्ता समन्वयक, ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर दी जाने वाली अनुदेशों के आलोक में गुणवत्ता संबंधित जाँच की जायेगी।

5.2 भारतीय रोड काँग्रेस द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रामीण पथ विशिष्टि (Rural road specification)– 2004 में योजनाओं के कार्यान्वयन एवम् गुण–नियंत्रण हेतु निर्धारित किये गये मापदंड प्रभावी होंगे। इसके अतिरिक्त प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये अनुदेश प्रभावी होंगे।

5.3 संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, निर्माण के प्रत्येक चरण में एवम् पूर्ण होने के उपरांत पथ कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराकर संधारित करेंगे।

5.4 कार्य के निरीक्षण के दौरान संबंधित तकनीकी पदाधिकारी द्वारा फोटोग्राफी एवम् विडियोग्राफी करायी जायेगी एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ इसे उच्चाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी।

5.5 प्रत्येक निरीक्षण के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय तथा यात्रा व्यय/अन्य आकस्मिक व्यय का भुगतान किया जाएगा। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

5.6 कार्यपालक अभियंता, निरीक्षण करने वाले पदाधिकारियों को कार्य संबंधी सभी जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध करायेंगे तथा जाँच कार्य में सहयोग करेंगे।

5.7 प्रत्येक विपत्र में संवेदक के अभियंता के द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि कार्य विशिष्टियों के अनुरूप एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ किया गया है तथा इसे संवेदक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

vi प्रशिक्षण/नयी तकनीकी का उपयोग/सेवाओं की आउटसोर्सिंग :–

6.1 योजना के क्रियान्वयन में अभियंताओं के साथ–साथ संवेदकों का भी विशेष योगदान होगा। अतः योजना में अभियंताओं (ग्रामीण कार्य विभाग) एवं संवेदक/संवेदक के अभियंताओं को प्रबंधन एवं तकनीकी उन्नयन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने का

प्रावधान भी किया जायेगा। इसमें प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, अध्ययन दौरा आदि शामिल होंगे।

6.2 योजना में नयी तकनीकी सामग्री एवं उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान किया जायेगा। इसके लिए पथ निर्माण की नयी तकनीक पर आधारित Pilot Projects भी लिए जायेंगे।

6.3 उच्चतर एवं विशिष्ट तकनीकी एवं प्रबंधन संबंधी सेवाएँ आउटसोर्सिंग के आधार पर प्राप्त करने का भी प्रावधान किया जायेगा और इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की जा सकेंगी।

6.4 नाबार्ड योजना अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं के सुचारू रूप से कियान्वयन हेतु BRRDA का आवश्यकतानुसार सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। विशेषकर इसके पदों को प्रतिनियुक्त/संविदा के आधार पर भरने की कार्रवाई की जायेगी।

VII लेखा :–

7.1 प्रत्येक कार्य इकाई के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर लेखा संधारण करने वाले विशेषज्ञों/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की सेवायें प्राप्त की जाएंगी। वे प्रत्येक माह प्रमंडल के अभिलेखों की जाँच करेंगे।

7.2 लेखा संधारण करने वाले विशेषज्ञ/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

VIII रख–रखाव :–

नाबार्ड योजना अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं के रख–रखाव हेतु राज्य बजट की गैर योजना मद की राशि का निवेश होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता के पथों का निर्माण किया जाएगा। इस शीर्ष अन्तर्गत चयनित योजनाओं के निर्माण कार्य के साथ ही पंचवर्षीय रख–रखाव की व्यवस्था की जायेगी। राज्य सरकार इन पथों के उचित रख–रखाव के लिए वित्त पोषण के स्थायी स्त्रोत बनाने का प्रयास करेगी। जबतक इस संबंध में स्थायी स्त्रोत विकसित नहीं होते है तबतक इस योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले पथों के वार्षिक रख–रखाव हेतु ग्राम्य अभियंत्रण संगठन को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। प्रशासी विभाग द्वारा विभाग में चल रहे योजनाओं के मरम्मति एवम् रख–रखाव हेतु Maintenance Policy तैयार कर पथ निर्माण विभाग को सौंपा जा चुका है, जिसे समेकित रूप से लागू करने हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।